

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

सितंबर से पहले होंगे नगर निगम चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश ।

Publisher

Published on 06 May 2025



महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे ।

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है । इसलिए, ये लंबित चुनाव 4 महीने के भीतर होने की संभावना है । सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव एक निश्चित समय के भीतर कराए जाने चाहिए । न्यायालय ने विवाद के शेष मुद्दों को टालने का निर्देश दिया है ।

महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे । 2022 से पहले का आरक्षण कानून लागू हो जाएगा । चुनाव समयबद्ध तरीके से होने चाहिए । निर्देश में यह भी कहा गया है कि चूंकि बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों में चुनाव होंगे, इसलिए यदि आवश्यक हुआ तो समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है ।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है । इसमें यह भी कहा गया है कि 2022 की रिपोर्ट से पहले राज्य में मौजूद ओबीसी समुदायों को आरक्षण दिया जाना चाहिए ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.